


20.5.19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि उक्त पत्रावली तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर श्री मानाराम पटेल द्वारा इस आधार पर न्यायालय हाजा में स्थान्तरित की गयी थी कि अपीलाधीन आदेश उनके द्वारा पारित किया गया था, इसलिए उक्त अपील की सुनवाई का अधिकार उन्हें नहीं है। चूंकि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा उनके स्थान पर नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है तथा उक्त अपील जोधपुर जिले से संबंधित होने से अति. सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र की होने से पुनः सुनवाई हेतु अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में मूल रिकॉर्ड सहित स्थान्तरित की जाती है। पत्रावली स्थान्तरण से निर्णित होकर नम्बर से कम हो। उभयपक्ष के अधिवक्ता दिनांक 13.6.2019 को न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस मामले में पैरवी करें।


(बाबूलाल कोठारी)
डिप्टीजनल कमिशनर, जोधपुर
जोधपुर

Recd
कमिशनर
20/5/19
29/5/19

रोड नं.
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर